~~Aristotle~~

① Aristotle

अरस्तू के द्वारा दासप्रथा का समर्थन व्यावहारिक अनुभवों से उपलब्ध आवश्यकता की स्वीकृति मात्र है। दास-प्रथा यूनानी सभ्यता की बुनियाद थी। उसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं में दासों के श्रम का महत्वपूर्ण भाग था। अनेक विरोधों के बावजूद अरस्तू ने अपनी निष्पक्षता के कारण इसका समर्थन किया। उसके लिए दासप्रथा को सैद्धान्तिक रूप और व्यावहारिक रूप से उचित ठहराना आवश्यक था। व्यावहारिक दृष्टि से दास-प्रथा पर आधारित सभ्यता को सैद्धान्तिक समर्थन की आवश्यकता थी। तत्कालीन क्रान्तिकारी सोफिस्ट विचारकों ने न केवल परम्परागत मान्यताओं का खण्डन किया था अपितु दास-प्रथा की आधारशिला को भी चुनौती दी थी। दासों की मुक्ति के लिए आन्दोलन हो रहे थे। अतः उसे बनाए रखने के लिए अरस्तू ने दासप्रथा को बौद्धिक आधार प्रदान किया। सैद्धान्तिक रूप से अरस्तू का राज्य विषयक सिद्धान्त दास-प्रथा के औचित्य पर आधारित है।

उसके अनुसार राज्य एक नैतिक समुदाय है। इसके नागरिकों को इसके क्रियाकलापों में भाग लेना आवश्यक था। और अवकाश के बिना नागरिक राजनीतिक कार्यों में मनोयोगपूर्वक भाग नहीं ले सकते हैं। यही कारण है कि राज्य में एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता होती है जो नागरिकों के लिए अनुकूल एवं उत्पादन के लिए उपयुक्त हो।

इस प्रकार अरस्तू ने दास को श्रम और शोषण पर आधारित यूनानी अर्थ-व्यवस्था के समर्थन के लिए अनेक युक्तियों का अन्वेषण करता है।

प्राकृतिक दासता — कुछ लोगों को नैसर्गिक रूप से दास मानता है और कुछ लोग प्रकृति से ही स्वतन्त्र होते हैं। प्रकृति के द्वारा यह विदित है कि श्रेष्ठ निम्न के ऊपर शासन करता है।

प्राकृतिक असमानता का सिद्धान्त — अरस्तू के अनुसार, ग्राम, परिवार और राज्य की भाँति दासता भी प्राकृतिक है क्योंकि यह प्राकृतिक असमानता पर आधारित है। उसके अनुसार यदि सद्जीवन की सम्भावनाएँ मनुष्य के लिए विद्यमान नहीं है और उन मनुष्यों को दासता का स्तर प्रदान किया जाता है तो उसे प्रकृति का नियम माना जाना चाहिए। तुलनात्मक दृष्टि से कुछ लोग श्रेष्ठ है और प्रकृति द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए बनाए गए हैं। सभी मनुष्यों में समान विवेक नहीं होता और विवेकहीन व्यक्ति दासता का जीवन व्यतीत करता है।

कानूनी दासता :- अरस्तू मानता है कि वास्तविक जीवन में सभी दास प्राकृतिक दास नहीं होते। बलपूर्वक आरोपित दासता कानूनी दासता है। अरस्तू के अनुसार कानूनी दासता प्राकृतिक दासता से भिन्न है क्योंकि प्राकृतिक दासता बौद्धिक और आध्यात्मिक भिन्नता पर आधारित होती है। परन्तु कानूनी दासता उत्पन्न शक्ति द्वारा विजय से आरोपित किया जाता है। इस सम्बन्ध में अरस्तू का मानना है कि यूनानियों को किसी भी तरह से दास नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वे स्वतन्त्र पैदा हुए हैं।

दास और स्वामी संबंध :-

दास प्रथा का समर्थक होते हुए भी उसके क्रूर स्वरूप का समर्थक नहीं है। वह उसे बुद्धि एवं मानवीय आधारों पर आधारित करना चाहता है जिससे कि उसकी क्रूरता और दोषों को कम किया जा सके और उसे मानवीय बनाया जा सके।

- अरस्तू की मान्यता है कि स्वामी और दास दोनों के हित समान हैं अतः स्वामी को अपनी उच्च स्थिति का कभी गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए।
- दास के सुख-सुविधाओं का ख्याल रखना भी स्वामी का कर्तव्य है। दासों को स्वतन्त्रता प्राप्ति के अवसर भी उपलब्ध होने चाहिए ताकि समर्थ होने पर उसे मुक्त किया जा सके।
- आवश्यकता से अधिक दासों को रखने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।
- अरस्तू की मान्यता है कि दासता का आधार प्राकृतिक है, वैधानिक नहीं और ना ही वंशानुगत होता है। यदि उसमें विवेक शक्ति है तो उसे दासता से मुक्त कर दिया जाना चाहिए।

इसके बावजूद अरस्तू द्वारा प्रतिपादित दास-प्रथा को आज के स्वतन्त्रता एवं समानता पर आधारित आधुनिक युग में किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विभिन्न दृष्टिकोणों से इसकी आलोचना की गई है -

→ अरस्तू द्वारा किया गया विभाजन अधिकांश व्यक्तियों को दास बना देगा। अरस्तू द्वारा सम्पूर्ण मानव जाति को गुलाम एवं शासक-शासितों के बीच विभाजित करना अनुचित है क्योंकि अगर ऐसा किया जाए तो मनुष्य जाति का अधिकांश भाग दास जाति में परिवर्तित हो जायेगा जो सामाजिक हित की दृष्टि से उचित नहीं होगा।

- दासता प्राकृतिक नहीं है — मनुष्य में विवेक और ज्ञान सम्बन्धी असमानता और अयोग्यता होते हुए भी उनमें मौलिक समानता होती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
- दास पूर्णतः विवेकशून्य नहीं होता है — अरस्तू दासों को विवेकशून्य मानता है इसलिए स्वामियों के नियंत्रण में रहना उनके लिए हितकारी मानता है। साथ ही यह भी स्वीकार करता है कि स्वामी के आदेश को समझने व पालन करने की बुद्धि उनमें होती है, अतः अरस्तू उन्हें पूर्ण विवेकशून्य नहीं मानता है। अगर ऐसा है तो दास-प्रथा का आधार ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि किसी भी अंश में विवेक का होना उसे दासता से अलग करता है।
- इसके अतिरिक्त अरस्तू ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किसी को स्वामी या दास के रूप में कैसे सिद्ध किया जाए।

- अरस्तू का दासता सम्बन्धी विचार परस्पर विरोधी है। एक तरफ वह दासता को प्राकृतिक मानता है तथा दूसरी ओर उनकी मुक्ति की भी बात करता है।
- अरस्तू दासों को जीवित सम्पत्ति या यन्त्र मानकर उन्हें सब तरह की अधिकारों से वंचित कर देता है और दूसरी तरफ उन्हें मानव मानकर मित्रवत व्यवहार करने की सलाह देता है।
- अरस्तू का यह सिद्धान्त शोषण एवं वर्ग-संघर्ष को जन्म देता है।
- यह सिद्धान्त अवैज्ञानिक है। यह अन्यायकारी है। अरस्तू के आदर्श राज्य में दासों को उनके अधिकारों से ही वंचित नहीं किया जाता है बल्कि उन्हें दण्डित भी किया जाता है। श्रम करने वाला को किसी भी प्रकार का राजनीति अधिकार नहीं प्रदान किया है।

इन विभिन्न आलोचनाओं से यह स्पष्ट है कि अरस्तू के दासता सिद्धान्त को आधुनिक युग में किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। किन्तु यह भी सत्य है कि अरस्तू के समय की सामाजिक परिस्थितियाँ आज की आधुनिक परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न है। सोफिस्ट विचारक दास-प्रथा के विरोधी थे जबकि उस समय के तत्कालीन विचारक नगर-राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए दासों का उपयोग करना चाहते थे। अरस्तू दासों को लम्बे समय तक स्वामी रखने के लिए दासों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार पर बल देता है। दासों में व्याप्त असन्तोष को कम करने के लिए अरस्तू प्राकृतिक दासता की बात करता है तथा वैधानिक दासता को निम्न मानता है।

अतः हम कह सकते हैं कि दास-प्रथा सम्बन्धी दृष्टिकोण के सम्बन्ध में अरस्तू अपने युग का सुधारवादी था, मानवतावादी था।